04-दिनांक 02/01/2024 को बिना लाइसेंस शराब पिलाने वाले होटल संचालक को रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को होटल/ रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए है। उक्त आदेश के क्रम में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र मे होटल/ रेस्टोरेंट मे बिना परमिट, लाइसेंस के शराब पिलाने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पुलिस टीम गठित कर रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.01.2024 को थाना क्षेत्रांतर्गत बिना लाइसेंस के अपने होटल/ ढाबों में शराब पिलाई जाने के संबंध में चैकिंग की गई, चैकिंग के दौरान होटल/ ढाबों में शराब पिलाये जाने पर एक होटल/रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार किया गया। होटल संचालक के विरूद्ध थाना रायपुर पर मु0अ0सं0-01/24 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता होटल संचालक

इन्द्रजीत सिंह उर्फ सोनू पुत्र हरचरण सिंह निवासी शान्ति विहार चौक, रायपुर रोड डी0एस0 नेगी कालोनी रायपुर, थाना रायपुर, देहरादून, उम्र 22 वर्ष।

पुलिस टीम

कानि0 वेदप्रकाश भट्ट

कानि0 शिवराज सिंह